कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक रा मा वि समकक्ष के पद पर वेतन श्रृंखला पी.बी.–3 (15600–39400) ग्रेड वेतन 5400 में चयनित संलग्न सूची के आशार्थियों को चयनोपरांत प्र.अ. रामावि/राबामावि के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल पर नियुक्ति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्रधानाध्यापक के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता हैं। इनका चरित्र संतोषजनक नहीं होने पर सेवा मुक्त करने का अधिकार नियुक्तिकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

यह नियुक्तियां राज्य सरकार के पत्रांक प. 17 (9) शिक्षा–ग्रुप–2/2013 दिनांक 11.09.2013 के क्रम में प्रदान की जाती है, इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि मे कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक– एफ 1 (12) डीओपी/ए–II/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ 12 (6)एफडी (नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 8 (1) कार्मिक/के–2/03 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 7 (1) कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् 2 से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी नवनियुक्त आशार्थी को कार्यग्रहण कराने से पर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगें कि इदनके 01.06.2002 को या इनके पश्चात् सन्तानोत्पति से बच्चों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई हैं। अ.जा./अ.ज.जा./अ.नि.ग./वि.प.व. के अभ्यर्थियों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त करेंगे, तदुपरान्त ही विद्यालय में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान करेंगे अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को सूचित करेंगे।

सम्बन्धित संस्था प्रधान उपरोक्त आशार्थियों को निश्चित दिनांक तक कार्यग्रहण करने बाबत कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें। यदि आशार्थी का स्थानान्तरण अन्यत्र हो गया है तो आदेश की प्रति उनके वर्तमान पते पर अविलम्ब भिजवाते हुए निदेशालय को सूचित करेंगे। उक्त कार्मिकों द्वारा दिनांक 27.08.2017 तक नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना आवश्यक हैं। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। उक्त आदेश द्वारा प्रदत उक्त नियुक्तियां, लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती वर्ष 2011 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं/अपीलों में, माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

संलग्न– यथोपरि सूची (क्र.सं.1 से 6 तक)

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/मा/संस्था/बी–1/45001/पीएससी/2013 दिनांक– 18-8-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान जयपुर
3. शासन संयुक्त सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
5. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर
6. समस्त शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा
8. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा
9. अनुभाग अधिकारी, गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/संस्थापन सी अनुभाग
10. सम्बन्धित संस्था प्रधान/ सम्बन्धित कार्मिक
11. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक, (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के माध्यम से, रिशफल परीक्षा परिणाम के द्वारा चयनित प्रधानाध्यापक– मावि के पदस्थापन की सूची

क्रमांक– शिविरा/मा/संस्था/बी–1/45001/पीएससी/2013 दिनांक– 18.8.17

क्र. सं.	वरियता क्रमांक	वर्ग		नाम आशार्थी मय वर्तमान पदस्थापन स्थान (सर्वश्री/कु0/श्रीमती)	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	1167 ए	एसबीसी	पुरूष	श्री बाबुलाल दांतला अध्यापक रामावि जालिमपुरा जिला बांसवाड़ा	29.07.1978	रामावि लक्ष्मणगढ़ झरी जिला बांसवाड़ा
2	2070 बी	अपिव विधवा	महिला	निर्मला सोनी अध्यापिका राबाउप्रावि जसवंतगढ़ गोगुन्दा जिला उदयपुर	16.12.1968	रामावि कालोड़ा बड़गांव जिला उदयपुर
3	2070 ए	अपिव विधवा	महिला	कृष्णा कुमारी अध्यापक राउमावि मुरलीपुरा बीड जिला जयपुर	05.06.1961	रामावि निम्बी जमवा रामगढ़ जिला जयपुर
4	355 ए	सामान्य	पुरूष	श्री नन्दलाल पुरोहित व्याख्याता अर्थशास्त्र राउमावि खींवसर जिला नागौर	03.09.1973	राबामावि नोरवा प.स. आहोर जिला जालोर
5	1881	अपिव परित्यक्ता	महिला	ताहिरा कुमारी खान अध्यापिका राप्रावि रेजीडेन्सी जयपुर पश्चिम, जयपुर	14.02.1972	रामावि कुन्डला राजगढ़ जिला अलवर
6	1875 ए	अपिव	महिला	अनुश्री गुर्जर अध्यापिका राउमावि पुष्कर जिला अजमेर	10.02.1984	रामावि खानपुरा अजमेर

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

–::कार्यालय आदेश::–

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के पद चयनित निम्न लिखित व्याख्याता का परिविक्षण काल समाप्त होने पर उनके सामने कॉलम संख्या सात में अंकित तिथि से व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के पद स्थाई किया जाता है।

क्र. सं.	मेरिट क्रमांक	व्याख्याता क्रमांक व पदस्थापित स्थान (राउमावि)	विषय	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण तिथि
1	M 20 GENG	नन्द लाल पुरोहित खींवसर, नागौर	अर्थशास्त्र	03.09.73	22.07.15	22.07.17

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी–5/स्थाईकरण /2016 दिनांक: 02.08.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक, अजमेर
2. जि.शि.अ. माध्यमिक, नागौर
3. प्रधानाचार्य राउमावि खींवसर, नागौर
4. श्री नन्द लाल पुरोहित, अर्थशास्त्र
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर